



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बागावास अहीरान, कैम्प दिनांक 22.05.2018

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 01/2018

दायर तारीख 03.01.2018

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल जाती अहीर निवासी बागावास अहीरान, तहसील विराटनगर। — वादी

बनाम

1. कैलाश } पुत्र बिडदा
2. ग्यारसीलाल } जाती अहीर निवासी बागावास अहीरान
3. प्रेम देवी पत्नी बनवारीलाल } तहसील विराटनगर, जयपुर
4. सोमनाथ पुत्र बनवारीलाल }
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
7. दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर शाखा पावटा जरिए मैनेजर दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर शाखा पावटा तहसील कोटपूतली।
8. यू.को बैंक शाखा आंतेला, जरिए मैनेजर यूको बैंक शाखा आंतेला तहसील विराटनगर।

— प्रतिवादीगण


दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता वादी
श्री विषण कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 2
पैरोकार सरकार

निर्णय


निर्णय दिनांक 22.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बागावास अहीरान के खाता संख्या 23 में दर्ज खसरा नम्बर 1101/0.36 हैक्टेयर के हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 तथा हिस्सा 10/36 की खातेदारी वादी एवं हिस्सा 2/36 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है।



इसी प्रकार खाता संख्या 174 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 986/0.43, 992/0.03, 993/0.39, 994/0.02, 998/0.06, 1021/0.31, 1030/0.05, 1032/0.33, 1033/0.05 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर के हिस्सा 1/3 की खातेदारी वाद तथा हिस्से 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एवं हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जिसमें जरिए नामान्तकरण संख्या 776 दिनांक 10.08.2017 विनियम के द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 1021/0.31 हैक्टेयर में वादी ने अपने हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1000/3100 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम दर्ज की गई है एवं शेष हिस्सा 3333/310000 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभय पक्षकारान ने अपने-अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाता का बाहमी बंटवारा कर रखा है। अतः निवेदन है कि खाता संख्या 23 के हाल खसरा नम्बर 1101/0.36 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 174 के हाल खसरा नम्बर 986, 992, 993, 994, 998, 1021, 1030, 1032, 1033 किता 9 रकबा 1.67 हैक्टेयर का उभय पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जा काशत अनुसार कानूनी बंटवारा किया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 174, 23 संवत् 2073-2076, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश कर कानूनी बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।
4. उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 05.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बागावास अहीरान में मजमा-ए-आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।
6. प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए। राजीनामा पेश करने हेतु समझाईश की गई। उभय पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव कानूनी



बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए राजीनामा आवेदन पेश कर न्यायालय आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किये।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान के निवेदन पर मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम बागावास अहीरान के खाता संख्या 23 में दर्ज खसरा नम्बर 1101/0.36 हैक्टेयर के हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 तथा हिस्सा 10/36 की खातेदारी वादी एवं हिस्सा 2/36 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है।
8. इसी प्रकार खाता संख्या 174 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 986/0.43, 992/0.03, 993/0.39, 994/0.02, 998/0.06, 1021/0.31, 1030/0.05, 1032/0.33, 1033/0.05 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर के हिस्सा 1/3 की खातेदारी वाद तथा हिस्से 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एवं हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जिसमें जरिए नामान्तरण संख्या 776 दिनांक 10.08.2017 विनियम के द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 1021/0.31 हैक्टेयर में वादी ने अपने हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1000/3100 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम दर्ज की गई है एवं शेष हिस्सा 3333/310000 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभय पक्षकारान ने अपने-अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाता का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उभय पक्षकारान के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया, जिसके संबंध में राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव आराजी का कानूनी बंटवारा करने का निवेदन किया है। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार है। अतः राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुसार मुताबिक राजीनामा व बंटवारा प्रस्ताव दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।
9. परिणामतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।



आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट एवं राजीनामा डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	ग्यारसीलाल पुत्र बिडदा	1101/0.32 हैक्टेयर उत्तरी भाग, 1032/0.32 हैक्टेयर
2	कैलाश पुत्र बिडदा	986/0.38, 992/0.03, 993/0.23 (उत्तरी भाग) हैक्टेयर
3	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल	986/1/0.05, 993/1/0.16 (दक्षिणी भाग), 994/0.02, 998/0. 06, 1101/1/0.04 (दक्षिणी भाग) हैक्टेयर
4	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल	1021/0.19 हैक्टेयर पश्चिमी भाग
5	प्रेम देवी पत्नी बनवारीलाल, सोमनाथ पुत्र बनवारीलाल	1021/1/0.12 हैक्टेयर पूर्वी भाग
6	ग्यारसीलाल, कैलाश पुत्र बिडदा हिस्सा 2/3, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/3	1032/1/0.01, 1030/0.05, 1033/0.05 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 22.05.2018 को मजमा-ए-आम कैम्प बागावास अहीरान में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर



डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प कोर्ट बागावास अहीरान

बइजलास :- मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल जाती अहीर निवासी बागावास अहीरान, तहसील विराटनगर। — वादी

बनाम

1. कैलाश } पुत्र बिडदा
2. ग्यारसीलाल } } जाती अहीर निवासी बागावास अहीरान
3. प्रेम देवी पत्नी बनवारीलाल } } तहसील विराटनगर, जयपुर
4. सोमनाथ पुत्र बनवारीलाल }
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
7. दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर शाखा पावटा जरिए मैनेजर
दी जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर शाखा पावटा तहसील
कोटपूतली।
8. यू.को बैंक शाखा आंतेला, जरिए मैनेजर यूको बैंक शाखा आंतेला तहसील
विराटनगर।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 01/2018 दावा बाबत बंटवारा एवं
स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू
श्री गोपाल टांक एडवोकेट व हाजरीमिन जानिब मुद्दई रूबरू
श्री विष्णु कुमार शर्मा एडवोकेट कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश
होकर निवेदन किया कि खाता संख्या 23 के हाल खसरा नम्बर 1101/0.
36 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 174 के हाल खसरा नम्बर 986, 992, 993,
994, 998, 1021, 1030, 1032, 1033 किता 9 रकबा 1.67 हैक्टेयर का
उभय पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार कानूनी बंटवारा
किया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया
जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।
राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बागावास अहीरान में मजमा-ए-आम
उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रकरण में
राजीनामा पेश किया गया तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव कानूनी बंटवारा
किये जाने का निवेदन किया गया।



अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं राजीनामा डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	ग्यारसीलाल पुत्र बिडदा	1101/0.32 हैक्टेयर उत्तरी भाग, 1032/0.32 हैक्टेयर
2	कैलाश पुत्र बिडदा	986/0.38, 992/0.03, 993/0.23 (उत्तरी भाग) हैक्टेयर
3	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल	986/1/0.05, 993/1/0.16 (दक्षिणी भाग), 994/0.02, 998/0.06, 1101/1/0.04 (दक्षिणी भाग) हैक्टेयर
4	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल	1021/0.19 हैक्टेयर पश्चिमी भाग
5	प्रेम देवी पत्नी बनवारीलाल, सोमनाथ पुत्र बनवारीलाल	1021/1/0.12 हैक्टेयर पूर्वी भाग
6	ग्यारसीलाल, कैलाश पुत्र बिडदा हिस्सा 2/3, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/3	1032/1/0.01, 1030/0.05, 1033/0.05 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 22.05.2018 को मजमा-ए-आम कैम्प बागावास अहीरान में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर



मुबलिकशून्य..... बाबतशून्य.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरतशून्य..... की सदी
 सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तकशून्य..... का अदा करें।
 सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **22.05.2018** को
 जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर